

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी : गितेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 17/2020 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 30.07.2020
G.C.M.S. NO. :- 2020/00038

मदनलाल पिता चिरंजीव लाल अग्रवाल, उम्र 63 वर्ष, पेशा व्यवसाय, निवासी
अग्रवाल कॉलोनी, चित्तौड़गढ़ रोड़, सिंगोली, जिला नीमच, (म.प्र.)

-अपीलांत

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़
(राज.)

-रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय
न्यायालय तहसीलदार रावतभाटा प्रकरण संख्या 822/2019 निर्णय दिनांक
26.06.2020

उपस्थिति:-1- श्री राकेश पुरी गोस्वामी, अधिवक्ता अपीलांत
2- श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 21.10.2022

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसील रावतभाटा के
पटवार हल्का मेघनिवास की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम बालेछा की बिलानाम
आराजी नम्बर 206/121 रकबा 0.24 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांत का नाजायज



कब्जा मानते हुए अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही दिनांक 26.06.2020 को अपीलांट के विरुद्ध बेदखली एवं वार्षिक लगान से 50 गुणा शास्ति आरोपित करने तथा बिलानाम भूमि पर पत्थर डालकर जो कब्जा कर रखा था उसे जब्त सरकार करने का निर्णय एवं आदेश पारित किया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार, रावतभाटा से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक के उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि तहसील रावतभाटा के पटवार हल्का मेघनिवास की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम बालेछा की बिलानाम आराजी संख्या 206/121 रकबा 0.24 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण एवं नाजायज कब्जा मानते हुए, अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये, अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने, अथवा अपीलांट के वकील को जिरह करने का अवसर दिए बिना अपीलांट के विरुद्ध बेदखली एवं जुर्माना तथा पत्थर जब्त कर कब्जे राज लिए जाने का आदेश पारित कर दिया जो विधि-विपरीत होकर मनमाफिक आदेश होने से निरस्त योग्य है। पटवार हल्का ने पर्चा-मौका दिनांक 08.07.2019 को बनाया है जो अपीलांट की अनुपस्थिति में बनाया गया है जिस पर गवाहान के हस्ताक्षर हो रहे हैं लेकिन गवाहान का नाम पता का उल्लेख नहीं है। उक्त पर्चा मौका के आधार पर प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को दिनांक 23.10.2019 को उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किया जिस पर अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ आगामी पेशी दिनांक 04.11.2019 दी गई। उसके पश्चात् पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से तारीख पेशी बदली



गई तथा दिनांक 23.03.2020 से सम्पूर्ण भारत देश में लॉकडाउन होकर समस्त राजस्व न्यायालय बंद थे फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.03.2020 को लॉकडाउन होने से तारीख बदलकर दिनांक 15.05.2020 निर्धारित की उस दिन भी लॉकडाउन था। दिनांक 15.05.2020 की आदेशिका में विपक्षी/अपीलांट की उपस्थिति बाबत कोई बात नहीं लिखी तथा उक्त पेशी पर विपक्षी/अपीलांट को अन्तिम अवसर दिया गया जबकि लॉकडाउन होने से अपीलांट वहां उपस्थित ही नहीं हुआ इसके बाद लॉकडाउन में ही दिनांक 26.06.2020 को विपक्षी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त विवादित आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26.06.2020 निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि राजकीय होकर बिलानाम भूमि है जिस पर अपीलांट द्वारा अवैध रूप से पत्थर डालकर नाजायज कब्जा एवं अतिक्रमण कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने तथा पत्थर जब्त किये जाने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.06.2020 को उक्त विवादित आदेश पारित किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.06.2020 को देश में विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के संक्रमण के मध्यनजर सम्पूर्ण भारत में लॉकडाउन होकर, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के परिपत्र क्रमांक/राम/स्था/एफ-32/2007/4348 दिनांक



18.03.2020 एवं उसकी निरन्तरता में पुनः परिपत्र क्रमांक 8134 दिनांक 26.06.2020 से न्यायिक कार्यों पर रोक लगाई गई थी तथा किन्हीं भी प्रकरणों में अधिवक्ताओं तथा पक्षकारों की अनुपस्थिति में उनके खिलाफ आदेश पारित नहीं किये जाने बाबत निर्देश प्रदत्त किए गए थे।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को विधिवत् सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाकर उक्त विवादित आदेश दिनांक 26.06.2020 लॉकडाउन की अवधि में अपीलांत/ अतिक्रमी की अनुपस्थिति में पारित किया जाना स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित है जो कि विधि-सम्मत नहीं होकर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।

यहां हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि कोई भी निर्णय पारित किये जाने से पूर्व पक्षकारों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना नहीं पाया जाता है जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

निष्कर्षतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26.06.2020 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांत को साक्ष्य, सबूत पेश करने तथा विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नए सिरे से विधि-सम्मत निर्णय पारित करें।

“निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।”

(गितेश श्री मालवीय)

